(vi) अनिवासी कर योग्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त आवक आपूर्ति [धारा 17(5) के खण्ड (f)]

अनिवासी करयोग्य व्यक्ति को सीजीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है। (शीर्ष प्रासंगिक परिभाषाओं के तहत परिभाषा देखें।) अनिवार्य रूप से एक अनिवासी कर योग्य व्यक्ति के पास भारत में व्यापार का कोई निश्चित स्थान नहीं है, लेकिन वह छिटपुट रूप से भारत में वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति करता है।

ऐसे अनिवासी करयोग्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुओं और/या सेवाओं पर भुगतान किया गया कर आईटीसी के रूप में उपलब्ध नहीं है। हालांकि आयातित वस्तुओं पर उसके द्वारा चुकाया गया कर आईटीसी के रूप में उपलब्ध है।

जबकि एक अनिवासी कर योग्य व्यक्ति द्वारा आयात किए गए माल पर आईटीसी की अनुमति है, उसके द्वारा आयातित सेवाओं पर आईटीसी अवरुद्ध है।

(vii) व्यक्तिगत उपभोग के लिए उपयोग की जाने वाली आवक आपूर्ति [धारा 17(5) के खण्ड (g)]

वस्तु और/या सेवाओं पर आईटीसी का लाभ उठाने के लिए धारा 16 में रखी गई सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से एक यह है कि इस तरह के वस्तु और/या सेवाओं का व्यवसाय के दौरान या आगे उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा जहाँ वस्तुओं और/या सेवाओं का उपयोग आंशिक रूप से किसी भी व्यवसाय के उद्देश्य से किया जाता है और आंशिक रूप से किसी भी अन्य उद्देश्यों के लिए, धारा 17 (1) के अनुसार आईटीसी के क्रेडिट को उतना प्रतिबंधित करता है जितना व्यापार उद्देश्यों तक निश्चित किया हो।

इसके अलावा धारा 17(5) (g) विशेष रूप से व्यक्तिगत उपभोग के लिए उपयोग किए जाने वाले वस्तु और/या सेवा पर आईटीसी को अवरुद्ध करती है।

जीएसटी कानून में व्यक्तिगत खपत शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इस प्रकार इसे सामान्य अर्थों में समझा जा सकता है जिसका अर्थ है गैर–व्यावसायिक उपयोग होना।

उदाहरण एक्स की किराने की दुकान है। वह अपने स्टोर में बेचे जाने के लिए चावल गेहूँ और बिस्कुट खरीदता है। खरीदी गई वस्तु सूची में से वह अपनी पत्नी को घरेलू उपयोग के लिए 10 कि.ग्रा चावल और गेहूँ देता है। व्यक्तिगत उपभोग के लिए इस्तेमाल होने के कारण 10 किलो चावल और 10 किलो गेहूँ पर आईटीसी अवरुद्ध है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(viii) निःशुल्क नमूने, उपहार, सामानों की चोरी/चोरी आदि [धारा 17(5) का खण्ड (h)]

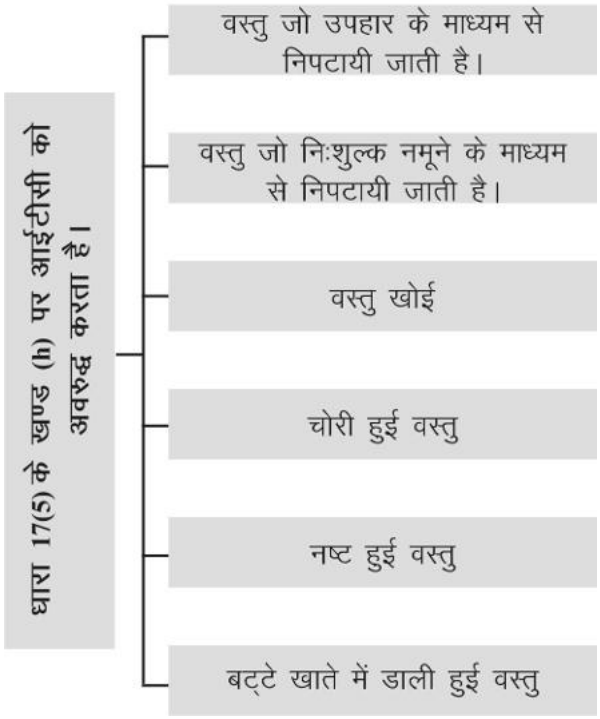

'उपहार' का अर्थ :

'उपहार' शब्द को जीएसटी कानून के अन्तर्गत परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए हमें अन्य कानूनों में उपहार की परिभाषा खोजनी होगी। सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 122, उपहार को कुछ मौजूदा चल या अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण के रूप में परिभाषित करता है जो स्वेच्छा से और बिना किसी प्रतिफल के एक व्यक्ति द्वारा जो दाता कहलाता है दूसरे को जो गृहीता कहलाता है और जो गृहीता के द्वारा या की ओर से स्वीकार किए जाते हैं।

कुछ मौजूदा सामान्य समानता में उपहार बिना प्रतिफल के दिया जाता है, जो स्वेच्छा से होता है, और किसी अवसर पर दिया जाता है। इसे अधिकार की तरह नहीं मांगा जा सकता है।

नमूना का अर्थ :

नमूना भी जीएसटी कानून में परिभाषित नहीं है। नमूना का शब्दकोश का अर्थ है "एक छोटा सा हिस्सा या मात्रा जो यह दर्शाने के उद्देश्य से हो कि सम्पूर्ण क्या है। वाणिज्यिक प्रतिमान में नमूने भावी ग्राहकों को दिए जाते हैं ताकि वे सामान खरीदने का निर्णय लेने से पहले आइटम की गुणवत्ता का परीक्षण कर सकें।

बिक्री प्रचारक योजनाओं के सम्बन्ध में आपूर्तिकर्ता के हाथों में आईटीसी

परिपत्र संख्या 92/11/2019 जीएसटी दिनांक 28.3.2019 में विभिन्न बिक्री प्रचार योजनाओं के तहत आपूर्तिकर्ता के हाथों में आईटीसी के अधिकारों को स्पष्ट किया है, जैसे कि अध्याय 2 में

© The Institute of Chartered Accountants of India

प्रासंगिक स्थानों पर योजनाओं पर चर्चा की गई है : जी एस टी और यूनिट I के तहत आपूर्ति अध्याय 5 की आपूर्ति का मूल्यः समय और आपूर्ति का मूल्य :

(A) नमूने या मुफ्त उपहार : नमूने जो बिना किसी विचार के मुफ्त में आपूर्ति किए जाते हैं, जीएसटी के तहत "आपूर्ति" के रूप में योग्य नहीं हैं, सिवाय इसके कि जहाँ गतिविधि जीएसटी अधिनियम की अनुसूची I के दायरे में आती है।

ITC आपूर्तिकर्ता को इनपुट, इनपुट सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं पर उस सीमा तक उपलब्ध नहीं होगा, जिसका उपयोग उपहार या मुफ्त नमूनों के संबंध में किसी भी प्रतिफल के बिना किया जाता है। हालांकि, जहाँ उपहार या मुफ्त नमूनों के विवरण की गतिविधि उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 में निहित प्रावधानों के कारण "आपूर्ति" के दायरे में आती है, आपूर्तिकर्ता आईटीसी का लाभ उठाने के लिए पात्र होगा।

(B) **एक के साथ एक मुफ्त प्रस्ताव** : यह मुफ्त सामानों की एक व्यक्तिगत आपूर्ति नहीं है बल्कि दो या दो से अधिक व्यक्तिगत आपूर्ति का मामला है जहाँ पूरी आपूर्ति के लिए एकल मूल्य वसूला जा रहा है। यह एक की कीमत के लिए दो समानों की आपूर्ति के रूप में सबसे अच्छा माना जा सकता है। इस तरह की आपूर्ति की कर की निर्भरता इस बात पर निर्भर करेगी कि आपूर्ति समग्र आपूर्ति है या मिश्रित आपूर्ति है और धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार कर की दर निर्धारित की जाएगी।

आईटीसी आपूर्तिकर्ता को इनपुट, इनपुट सेवाओं और पंजीकृत वस्तुओं के लिए उपलब्ध होगा, जो कि वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति या इस तरह के ऑफर के हिस्से के रूप में उपयोग किया जाता है।

(C) **छूट सहित अधिक खरीदें अधिक बचाएं प्रस्ताव** : आपूर्तिकर्ता द्वारा ग्राहकों को दी जाने वाली छूट [अधिक खरीदें अधिक बचाएं के तहत कंपित छूट शामिल है और आपूर्ति के बाद/मात्रा में छूट आपूर्ति के समय या उससे पहले की गयी स्थापना।] आपूर्ति के मूल्य का आकलन करने में सम्मिलित नहीं किया जाएगा बशर्ते धारा 15 के उपधारा (3) में दिए गए मापदण्डों को पूरा करे आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किए गए दस्तावेज के आधार पर छूट आपूर्ति के प्राप्तकर्ता द्वारा आईटीसी के उत्क्रमण सहित।

हालांकि, आपूर्तिकर्ता ऐसे इनपुट, इनपुट सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं के लिए आईटीसी का लाभ उठाने का हकदार होगा, जो सामान या सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में या इस तरह के छूट पर दोनों के लिए उपयोग किया जाता है।

(D) **द्वितीयक छूट** : ये वे छूटें हैं जो आपूर्ति के समय ज्ञात नहीं हैं या आपूर्ति समाप्त होने के बाद दी जाती हैं। आपूर्ति के मूल्य का निर्धारण करते समय ऐसी छूटों को बाहर नहीं किया जाएगा। इस मामले में आपूर्तिकर्ता के हाथों में आईटीसी की उपलब्धता पर या अन्यथा कोई प्रभाव नहीं है।

समय सीमा समाप्त होने पर वापस आने वाली दवाइयों/दवाओं को ताजा आपूर्ति के रूप में माना जाता है।

दवा क्षेत्र में आम व्यापार प्रथा यह है कि दवाओं या दवाओं ["माल के रूप में सन्दर्भित"] निर्माता द्वारा थोक व्यापारी को बेच दिया जाता है और थोक व्यापारी द्वारा खुदरा व्यापारी को चालान/बिल की आपूर्ति के आधार पर मामले के रूप में बेचा जाता है यह हो सकता

© The Institute of Chartered Accountants of India

है, इस तरह के सामान में एक परिभाषित जीवन अवधि होती है जिसे आमतौर पर समाप्ति की तारीख के रूप में जाना जाता है ऐसे सामान जो अपनी तारीख को समाप्त कर चुके हैं। ऐसे सामान को समय समाप्ति से सम्दर्भित किया जाता है। और निर्माता को आपूर्ति चैन के द्वारा समाप्ति के कारण वापस कर दिया जाता है। परिपत्र संख्या 72/46/2018 ने स्पष्ट किया है कि रिटेलर/जीएसटी दिनांक 26.10.2018 थोक व्यापारी समय सीमा समाप्त होने वाले सामानों को ताजा आपूर्ति के रूप में या क्रेडिट नोट जारी करने के द्वारा वापस कर सकते हैं।[5]

ताजा आपूर्ति के रूप में समय सीमा समाप्त सामान की वापसी :

यदि समय समाप्त माल वापस करने वाला एक पंजीकृत व्यक्ति एक कम्पोजीशन करदाता के अलावा तो वह अपने विकल्प पर, उक्त सामान को ताजा आपूर्ति के रूप में वापस कर सकता है और उसी के लिए एक चालान जारी कर सकता है। [यहां वापसी की आपूर्ति के रूप में जाना जाता है,] चालान में दिखाए गये सामानों का मूल्य जिसके आधार पर माल की आपूर्ति पहले की गयी थी, को ऐसी वापसी आपूर्ती के मूल्य के रूप में लिया जा सकता है। थोक व्यापारी या निर्माता जैसा भी मामला हो, जो इस तरह की वापसी की आपूर्ति का प्राप्तकर्ता है, धारा 16 में निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति के लिए उक्त वापसी आपूर्ति विषय पर लगाए गए कर के आईटीसी का लाभ उठाने के लिए पात्र होगा।

समयसीमा समाप्ति पर सामान की वापसी करने वाला व्यक्ति एक कम्पोजीशन कर दाता है तो वह उस सामान के लिए आपूर्ति का बिल जारी करके और कम्पोजीशन करदाता को लागू दर पर कर का भुगतान करके वापस कर सकता है। यदि समय सीमा प्राप्त माल को वापस करने वाला व्यक्ति अपंजीकृत व्यक्ति है। तो वह उस पर बिना कर लिए वाणिज्यिक दस्तावेज जारी करके उक्त माल को वापस कर सकता है।

जहाँ खुदरा विक्रेता/थोक व्यापारी द्वारा एक ताजा आपूर्ति के रूप में लौटाए गए सामान को निर्माता द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, उसे धारा 17(5) (h) के सन्दर्भ में वापसी की आपूर्ति पर प्राप्त आईटीसी को वापस लेना आवश्यक है। यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि आईटीसी जो इस तरह के परिदृश्य में उलट करने की आवश्यकता है आईटीसी का लाभ वापसी आपूर्ति पर लिए जाता है, न कि आईटीसी के लिए जो ऐसे समय अवधि के समय समाप्ति माल के निर्माण के लिए उत्तरदायी है।

स्पष्टीकरण समय समाप्त होने के अलावा अन्य कारणों से माल की वापसी के लिए भी लागू हो सकता है।

यदि किसी निर्माता ने ₹ 100 के मूल्य की दवाइयों के निर्माण के समय ₹ 10 का आईटीसी लिया है। ऐसी दवाइयों के समाप्ति के कारण, वापसी के समय, थोक व्यापारी द्वारा जारी किए गए ताजा चालान के आधार पर निर्माता को उपलब्ध आईटीसी ₹ 15 इसलिए जब समय समाप्त होने पर माल निर्माता द्वारा नष्ट कर दिया जाता है तो उसे ₹15 का आईटीसी उलट करना होगा न कि ₹ 10।

---

5 The Procedure for return of time expired drugs or medicines by issuing credit note is covered in Chapter 8 : Tax Invoice; Credit and Debit Notes; E-way Bill.

© The Institute of Chartered Accountants of India

(ix) धोखाधड़ी, हिरासत जाति आदि मामलों में भुगतान किया गया कर [धारा 17(5) के खण्ड (I)] :

धारा 74, 129 और 130[6] के तहत के भुगतान किया गया कर आईटीसी के रूप में उपलब्ध नहीं है। यह धारा करों की चोरी के परिणामस्वरूप, या पारगमन में माल या सम्पत्ति का विरोध के रूप में या जब्त किए गए माल/सम्पत्तियों के मोचन की ओर कर से सम्बन्धित प्रावधानों को निर्धारित करते हैं।

5. विशिष्ट मामलों में क्रेडिट [धारा 18] [Credit in Special Circumstances (Section 18)]

वैधानिक प्रावधान		
धारा 18	**विशिष्ट परिस्थितियों में क्रेडिट की उपलब्धि**	
उप–धारा	**खण्ड**	**विवरण**
(1)	निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन	
	(a)	यदि किसी व्यक्ति ने पंजीकरण के लिये दायी होने के 30 दिन के अन्दर इस अधिनियम के अधीन पंजीकरण के लिये आवेदन कर दिया है और ऐसा पंजीकरण स्वीकृत हो चुका है, उसके भुगतान के लिये दायी होने की तिथि से तुरंत पिछली तिथि को उसके रहतिया में शामिल इनपुट्स, अर्द्ध निर्मित माल या तैयार माल में निहित इनपुट्स के सम्बन्ध में क्रेडिट लेने का अधिकारी है।
	(b)	ऐसा व्यक्ति जिसने धारा 25 की उप–धारा (3) के अधीन पंजीयन प्राप्त किया है, उसको पंजीयन स्वीकृति के तिथि से तुरंत पिछली तिथि को उसके रहतिया में शामिल इनपुट्स, अर्द्ध निर्मित माल और तैयार माल में निहित इनुपट्स के सम्बन्ध में क्रेडिट लेने का अधिकार है।
	(c)	यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति ने धारा 10 के अधीन कर भुगतान नहीं किया है, उसको पंजीयन के लिये दायी होने की तिथि से तुरंत पिछली तिथि को धारित इनपुट्स के रहतिया, अर्द्ध निर्मित माल या तैयार माल में निहित इनपुट्स और पूँजीगत माल के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स क्रेडिट्स लेने का अधिकार है। जिस तिथि से वह धारा 9 के तहत कर चुकाने के लिए उत्तरदायी होता है। बशर्ते कि पूँजीगत माल का क्रेडिट निर्धारित प्रतिशत की दर से कम कर दिया गया हो।
	(d)	यदि कर योग्य व्यक्ति की कोई माल या सेवाओं या दोनों करमुक्त पूर्ति करयोग्य है, ऐसे व्यक्ति द्वारा देने को दायी होने की तिथि से तुंरत पिछली तिथि को धारित इनपुट्स का रहतिया अथवा अर्द्ध निर्मित माल या तैयार माल के रहतिया में निहित इनपुट्स पर, पूँजीगत माल पर, क्रेडिट लेने का

[6] These provisions will be discussed at the Final level.

© The Institute of Chartered Accountants of India

	अधिकार होगा जिनका उपभोग अनन्य रूप से ऐसी कर मुक्त पूर्ति में किया जा रहा था।
	बशर्ते कि पूँजीगत माल सम्बन्धी क्रेडिट ऐसे प्रतिशत से कम कर दिया गया हो, जो इस सम्बन्ध में निर्धारित है।
(2)	कोई पंजीकृत व्यक्ति उप–धारा (1) के अधीन टैक्स क्रेडिट लेने का अधिकारी नहीं होगा, यदि उसको की गयी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति को सम्बन्धित बीजक निर्गमन की तिथि से एक वर्ष की अवधि समाप्त हो चुकी है।
(3)	यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति के संविधान में परिवर्तन व्यवसाय के विक्रय, विलियन, डिमर्जर, संविलयन, पट्टा या अन्तरण के कारण हुआ है, जिसमें दायित्वों के भी अन्तरण का विशिष्ट प्रावधान है, ऐसा पंजीकृत व्यक्ति ऐसी अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के अन्तरण का अधिकारी होगा जो उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शेष है, ऐसा अन्तरण बिक्रीत, संविलयित एकीकृत, विकेन्द्रीकृत, पट्टाधारी के कारण अंतरिती के पक्ष में निर्धारित रीतिनुसार किया जा सकेगा।
(4)	ऐसा पंजीकृत व्यक्ति जिसने ITC का लाभ लिया है, धारा 10 के अधीन कर भुगतान का अथवा उसके द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति पूर्णतः कर मुक्त हो जाती है, का विकल्प अपनाता है, वह इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अथवा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डेबिट प्रविष्टि द्वारा ऐसी राशि का भुगतान करेगा, जो कि विकल्प अपनाने की तिथि से तुरंत पूर्ववर्ती तिथि को उसके द्वारा धारित इनपुट्स का रहतिया, अर्द्ध निर्मित माल और तैयार माल में निहित इनपुट्स और पूँजीगत माल पर (निर्धारित प्रतिशत से कमी पश्चात) ली गयी ITC के मूल्य के समकक्ष होगी। बशर्ते इस तरह की राशि के भुगतान के बाद अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में छूटें ITC, यदि कोई हो तो शेष राशि समाप्त हो जाएगी।
(5)	उप–धारा (1) के अधीन क्रेडिट की राशि और उप–धारा (4) के अधीन देय राशि की गणना निर्धारित रीति से की जायेगी।
(6)	ऐसे पूँजीगत माल या संयंत्र और मशीनरी की पूर्ति की स्थिति में, जिन पर ITC ली गयी है, पंजीकृत व्यक्ति ऐसे पूँजीगत माल और संयंत्र मशीनरी पर ली गयी ITC के समकक्ष राशि का भुगतान करेगा, उसमें निर्धारित प्रतिशत बिन्दु से कमी कर दी जायेगी अथवा ऐसे पूँजीगत माल या संयंत्र और मशीनरी के संव्यवहार मूल्य पर धारा 15 के अधीन निर्धारित राशि का भुगतान करेगा, जो भी अधिक हो।
	उल्लिखित है कि उपवर्तक ईंटें, ढाँचा, साँचा, नमूने तथा स्थिरता की स्क्रेप के रूप में पूर्ति की जाती है तब कर योग्य व्यक्ति धारा 15 के तहत निर्धारित ऐसे माल के लेन–देन मूल्य पर कर भुगतान कर सकता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

अध्याय V : CGST नियमावली के अधीन ITC (Chapter V : Input Tax Credit of CGST Rules)	
नियम–40	**विशेष परिस्थितियों में क्रेडिट का दावा करने की रीति** (Manner of claiming credit in special circumstances)
(1)	धारा 18 की उप–धारा (1) के अधीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिये–उपर्युक्त उप–धारा के खण्ड (c) और (d) के अधीन प्रावधानों के अनुसार, इनपुट्स के रहतिया, अर्द्ध निर्मित माल या तैयार माल में निहित इनपुट्स और पूँजीमाल के सम्बन्ध आदि का निर्धारण निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जायेगा, नामतः (a) धारा 18 की उप–धारा (1) के खण्ड (c) और (d) के अनुसार पूँजीगत माल पर ITC का दावा, ऐसी पूँजीगत माल पर चुकता कर की राशि को प्रति तिमाही या उसके भाग के लिये 5% पाइन्ट्स की दर से कमी कर के संगणित किया जायेगा, जो पूँजीगत माल की पंजीकृत कर दाता द्वारा प्राप्ति के सम्बन्ध में निर्गमित बीजक की तिथि से समय की गणना की जायेगी। (b) पंजीकृत व्यक्ति को खण्ड 18 की उप–धारा (1) में इनपुट कर जमा का लाभ प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर या उस वक्त के भीतर जो अधिकारी द्वारा या अधिसूचना में बढ़ाया गया हो, इसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से घोषणा करनी होगी। कॉमन पोर्टल में फोर्स GST ITC-01 में यह प्रभाव देने के लिए कि वह योग्य है इनपुट कर जमा के लाभ के लिए जैसा कि पूर्वोक्त है : राज्य कर के अधिकारी द्वारा या केन्द्र शासित प्रदेश के अधिकारी द्वारा यदि वह बढ़ाई हुई सीमा दर्ज कराई गई हो, तो वह माना जाएगा कि वह अधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई है। (c) खण्ड (b) के अधीन की गयी घोषणा में, इनपुट्स के रहतिया, अर्द्ध निर्मित माल या तैयार माल में निहित इनपुट्स, जैसी भी स्थिति हो, और पूँजीगत माल के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख होगा : (i) यदि धारा 18 की उप–धारा (9) के खण्ड (a) के अधीन ITC का दावा किया गया है, तब इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान के लिये दायी होने की तिथि से तुरंत पिछले दिन को; (ii) यदि धारा 18 की उप–धारा (1) के खण्ड (b) के अधीन ITC का दावा किया गया है, तब पंजीकरण की स्वीकृति की तिथि से तुंरत पिछले दिन को, (iii) यदि धारा 18 की उप–धारा (1) के खण्ड (c) के अधीन ITC का दावा किया गया है, तब, ऐसी तिथि जिसको वह धारा 9 के अधीन कर भुगतान के लिये दायी हुआ है, उससे पिछले दिन को;

© The Institute of Chartered Accountants of India

	(iv) यदि धारा 18 की उप–धारा (1) के खण्ड (d) के अधीन ITC का दावा किया गया है, तब उस तिथि से जब से कर योग्य व्यक्ति द्वारा की गयी पूर्तियाँ कर योग्य होती हैं, उससे पिछले दिन को, धारित इनपुट्स के सम्बन्ध में।
	(d) खण्ड (b) के अधीन प्रस्तुत घोषणा के विवरणों का प्रमाणन अभ्यासी C.A. अथवा लागत लेखांकक द्वारा किया जायेगा यदि CGST, SGST, UTGST, IGST के अधीन दावों का मूल्य ₹ दो लाख से अधिक है। (e) धारा 18 की उप–धारा (1) के खण्ड (c) और (d) के अधीन दावाकृत क्रेडिट के घोषित विवरणों के साथ सम्बन्धित पूर्तिकर्ता द्वारा **प्रारूप, GSTR-1** में, जैसी भी स्थिति हो, **प्रारूप GSTR-4** में कॉमन पोर्टल पर सत्यापन किया जायेगा।
(2)	धारा 18 की उप–धारा (6) के उद्देश्यों के लिये पूँजीगत माल या संयंत्र और मशीन पर इनपुट क्रेडिट की राशि के मामले में, ऐसे माल पर ITC की राशि को प्रति तिमाही या उसके भाग के लिये 5 प्रतिशत पाइन्ट्स की दर से कम कर दिया जायेगा, ऐसी अवधि की गणना ऐसे माल के बीजक की तिथि से करेंगे।
नियम 41 (Rule 41)	**विक्रय, मर्जर, संविलियन, पट्टा या व्यवसाय का अन्तरण की दशा में क्रेडिट का अन्तरण** (Transfer of credit on sale, merger, amalgamation lease or transfer of a business)
(1)	पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय के विक्रय, मर्जर, डिमर्जर, संविलियन, पट्टा या अन्तरण अथवा स्वामित्व में परिवर्तन की स्थिति में प्रारूप **GST ITC-O2** में कॉमन पोर्टल में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऐसे विक्रय, मर्जर, डिमर्जर, संविलियन, पट्टा या स्वामित्व में परिवर्तन के विवरणों के साथ अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अप्रयुक्त इनपुट क्रेडिट को अन्तरिती के पक्ष में अन्तरण का अनुरोध भी करेगा :
	उल्लिखित है कि डिमर्जर की स्थिति में, नवीन इकाई को डिमर्जर स्कीम के अधीन अंतरित सम्पत्तियों के अनुपात में ITC का विभाजन किया जायेगा।
	स्पष्टीकरण : इस उपनियम के उद्देश्य के लिए, यहां यह स्पष्ट किया गया है कि "सम्पत्ति के मूल्य" का तात्पर्य व्यवसाय की सम्पत्ति के सम्पूर्ण मूल्य से है चाहे उसमें प्रविष्टि कर लागू हुआ हो या नहीं।
(2)	अन्तरक द्वारा चार्टर्ड एकाउन्टेंट या लागत लेखांकक द्वारा निर्गमित प्रमाण पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें प्रमाणित किया गया होगा। कि ऐसा विक्रय, मर्जर, डिमर्जर, संविलियन, पट्टा या व्यवसाय का अंतरण, स्पष्ट रूप से दायित्वों के अन्तरण के प्रावधान के साथ किया गया है।
(3)	अन्तरिती द्वारा कॉमन पोर्टल पर अंतरक द्वारा प्रस्तुत विवरणों को स्वीकार करेगा और ऐसी स्वीकृति पश्चात प्रारूप **GST ITC-02** में निर्दिष्ट अप्रयुक्त ITC को उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अंतरित कर दिया जायेगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(4)	इस प्रकार अंतरित इनपुट्स एवं पूँजीगत माल का समुचित लेखांकन अंतरिती की लेखा पुस्तकों में किया जायेगा।
नियम 41A (Rule 41A)	राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश के अन्दर व्यवसाय के कई स्थानों के लिए अलग–अलग पंजीकरण प्राप्त करने पर क्रेडिट का हस्तांतरण
(1)	एक पंजीकृत व्यक्ति जिसने नियम 11 के प्रावधानों के अनुसार व्यवसाय के कई स्थानों के लिए अलग–अलग पंजीकरण प्राप्त किया है और जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से किसी भी या सभी नये पंजीकृत व्यवसाय के लिए स्थानों अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट बहीखाता में अनुपयोगी इनपुट कर क्रेडिट को स्थानांतरण करने का इरादा रखता है तो उसे व्यवसाय के अलग–अलग पंजीकरण प्राप्त करने से तीस दिनों की अवधि के भीतर सामान्य पोर्टल पर फॉर्म GST ITC-02A इलेक्ट्रॉनिक रूप से, या तो सीधे या एक सुविधा केन्द्र के माध्यम से आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा।
	बशर्ते कि इनपुट कर क्रेडिट पंजीकरण के समय उनके पास रखी सम्पत्ति के मूल्य के अनुपात में नए पंजीकृत संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाएगा।
	स्पष्टीकरण : इस उपनियम के उद्देश्य के लिए, यह स्पष्ट किया गया है कि 'सम्पत्तियों का मूल्य' का मतलब है कि व्यवसाय की सम्पूर्ण परिसम्पत्तियों का मूल्य भले ही उन पर इनपुट कर क्रेडिट का लाभ उठाया गया है या नहीं।
(2)	नए पंजीकृत व्यक्ति (हस्तांतरी) आम पोर्टल पर, पंजीकृत व्यक्ति (हस्तांतरणकर्ता) द्वारा प्रस्तुत विवरणों को स्वीकार करेंगे और इस तरह की स्वीकृति पर, Form GST ITC- 02A में निर्दिष्ट इनपुट कर क्रेडिट को उनके इलेक्ट्रॉनिक खाते में जमा कर दिया जाएगा।
नियम 44 (Rule 44)	**विशेष परिस्थितियों में क्रेडिट वापसी की रीति** (Manner of reversal of credit under special circumstances)
(1)	धारा 29 की उप–धारा (5) या धारा 18 की उप–धारा (4) के उद्देश्यों के लिए इनपुट्स के स्टॉक, अर्द्धनिर्मित माल और तैयार माल में निहित इनपुट्स और पूँजीगत माल के रहतिया के सम्बन्ध में ITC की राशि का निर्धारण निम्नांकित रीति से किया जायेगा, नामत,:
	(a) इनपुट्स का रहतिया, और रहतिया में शामिल अर्द्धनिर्मित माल और तैयार माल में निहित इनपुट्स के सम्बन्ध में ITC की गणना आनुपातिक रूप में ऐसे बीजकों के आधार पर की जायेगी, जिन पर पंजीकृत व्यक्ति ने ऐसे इनपुट्स पर क्रेडिट प्राप्त की है;
	(b) रहतिया में शामिल पूँजीगत माल के सम्बन्ध में, उनके शेष उपयोगी जीवन के माहों में निहित इनपुट क्रेडिट, आनुपातिक आधार पर संगणित की जायेगी, उपयोगी जीवनकाल 5 वर्ष का मानते हुए।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(2)	उप–नियम (1) में निर्दिष्ट राशि का निर्धारण CGST, SGST, UTGST, और IGST के सम्बन्ध में पृथक–पृथक किया जायेगा।
(3)	यदि इनपुट्स के रहतिया सम्बन्धी कर बीजक उपलब्ध नहीं हैं पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति धारा 18 की उप–धारा (4) अथवा धारा 29 की उप–धारा (5), जैसी भी स्थिति हो, के अधीन घटित विशिष्ट घटना की तिथि को प्रचलित बाजार मूल्यों के आधार पर उप–नियम (1) के अधीन राशि का अनुमान करेगा;
(4)	उप–नियम (1) के अधीन निर्धारित राशि, पंजीकृत व्यक्ति के आउटपुट कर दायित्व का भाग होगी, और ऐसी राशि के विवरण प्रारूप **GST ITC03** में प्रस्तुत किये जायेंगे, यदि कोई घटना धारा 18 (4) से सम्बन्धित हो तो सम्बन्धित राशि **GSTR-10** में प्रस्तुत की जायेगी यदि घटना पंजीकरण के निरस्तीकरण से सम्बन्धित है।
(5)	उप–नियम (3) के अधीन प्रस्तुत, विवरणों का अभ्यासी चार्टर्ड एकाउन्टेंट या लागत लेखांकक द्वारा समुचित सत्यापन किया जायेगा।
(6)	धार 18 की उप–धारा (6) के उद्देश्यों के लिये पूँजीगत माल से सम्बन्धित ITC का निर्धारण उसी रीति से किया जायेगा जैसा कि उप–नियम (1) के खण्ड (b) में वर्णित है, और CGST, SGST, UTGST और IGST से सम्बन्धित ITC का निर्धारण पृथक्–पृथक् किया जायेगा।
	उल्लिखित है कि इस प्रकार निर्धारित राशि का मूल्य पूँजीगत माल के संव्यवहार मूल्य पर निर्धारित कर की राशि से अधिक है, निर्धारित की गयी राशि आउटपुट कर दायित्व का भाग होगी और उसको **प्रारूप GSTR-1** में प्रस्तुत किया जायेगा।

विश्लेषण (Analysis)

धारा 18 में निम्नांकित व्यवस्था की गयी है (Section 18 provides for) :

(1) पंजीकरण/ऐच्छिक पंजीकरण के समय पर (2) कम्पोजीशन स्कीम त्यागकर नियमित करारोपण में शामिल होने पर (iii) कर मुक्त पूर्तियों के कर योग्य होने की स्थिति में कर योग्य व्यक्ति की स्थिति प्राप्त करने के मामलों में इनपुट्स के स्टॉक तथा अर्द्धनिर्मित माल या तैयार माल के रहतिया में निहित इनपुट्स के सम्बन्ध में ITC का अधिकारी होना।

(2) इनपुट के रहतिया और अर्द्धनिर्मित माल और तैयार माल में निहित इनपुट्स के सम्बन्ध में प्रयुक्त ITC की निम्नांकित स्थितियों में वापसी–

  (i) नियमित निर्धारण से कम्पोजीशन स्कीम का विकल्प स्वीकारना,

  (ii) कर योग्य पूर्ति के कारण भुगतान की स्थिति से बाहर निकलकर कर मुक्त पूर्ति के समय पर

(3) पूँजीगत माल या संयंत्र और मशीनरी जिस पर ITC ली गयी है, उस पर देय राशि।

(4) पंजीकृत व्यक्ति के संगठन के परिवर्तन के कारण ITC का अन्तरण।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(i) ऐच्छिक पंजीकरण/पंजीकरण अथवा नियमित करारोपण की स्थिति में आना अथवा कर योग्य स्थिति में आना [धारा 18 की उप–धारा (1) और (2) CGST नियम 40 के साथ पढ़ें] Entitlement of ITC at the time of registration/valuntary registration on switching to regular tax paying status on coming into tax paying status [Sub-section (1) and (2) of section 18 read with rule 40 of CGST Rules]

स्टॉक में धारित इनपुट्स और अर्द्धनिर्मित माल या तैयार माल के स्टॉक में निहित इनपुट्स और पूँजीगत माल पर ली गयी ITC, ऐच्छिक/अनिवार्य पंजीयन, या नियमित कर दाता। कर देयता स्थिति में आने पर, निम्नांकित रीति में उपलब्ध होगी :

क्र. सं.	क्रेडिट लेने योग्य व्यक्ति	ITC को अधिकृत माल		प्रतिबन्ध/शर्तें
		इनपुट्स का रहतिया/पूँजीगत माल	उस समय	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	पंजीकरण के लिए दायी होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर पंजीयन के लिए आवेदन कर्ता व्यक्ति जिसको पंजीकरण स्वीकृत हो चुका है।	इनपुट का रहतिया और अर्द्धनिर्मित माल और तैयार माल में निहित इनपुट्स के लिए	कर भुगतान के लिए दायी होने की तिथि से तुरन्त पिछले दिन	पूर्तिकर्त्ता द्वारा निर्गमित बीजक की तिथि से एक वर्ष के अन्दर ITC लेना
2.	पंजीयन के लिए दायी नहीं है ऐसा व्यक्ति फिर भी ऐच्छिक पंजीयन प्राप्त करता है।	इनपुट्स का रहतिया और अर्द्धनिर्मित माल या तैयार माल में शामिल इनपुट्स	पंजीयन की तिथि से तुरंत पिछले दिन की तिथि	
3.	कम्पोजीशन स्कीम छोड़कर नियमित करारोपण अपनाने वाला व्यक्ति	इनपुट्स का रहतिया और अर्द्धनिर्मित माल या तैयार माल में शामिल इनपुट्स और पूँजीगत माल	नियमित कर भुगतान के लिए दायी होने की तिथि से तुरन्त पिछला दिन	➢ बीजक की तिथि से एक वर्ष के योग या एक वर्ष के प्रति तिमाही के लिए पूँजीगत माल पर स्वीकृत ➢ ITC को 5% से कम कर दिया जाएगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

				➢ ITC का दावा सम्बन्धित पूर्तिकर्ता द्वारा प्रदत्त सम्बन्धित विवरणों के साथ सत्यापन किया जायेगा।
4.	ऐसा पंजीकृत व्यक्ति जिसकी कर मुक्त पूर्तियाँ कर योग्य पूर्तियाँ बन गयी हैं।	इनपुट्स का रहतिया और ऐसी कर मुक्त पूर्ति सम्बन्धी अर्द्धनिर्मित माल और तैयार माल में निहित इनपुट्स और पूँजीगत माल जिसका अनन्य उपयोग कर मुक्त पूर्ति के लिए किया गया है।	पूर्ति के कर योग्य होने की तिथि से तुरन्त पिछला दिन	पूर्तिकर्ता द्वारा बीजक निर्गमन की तिथि से एक वर्ष के अन्दर ITC की उपलब्धि

उपरोक्त सभी मामलों में पंजीकृत व्यक्ति को कॉमन पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में एक इलेक्ट्रॉनिक घोषणा करनी होती है जिसमें रहतिया के रूप में धारित इनपुट्स अर्द्धनिर्मित माल और तैयार माल में निहित इनपुट्स और पूँजीगत माल जो कि उपर्युक्त तालिका के कॉलम में सं. 4 में वर्णित दिन को उपलब्ध था। ऐसी घोषणा उस दिन से 30 दिन के अन्दर करनी होती है जिस दिन पंजीकृत व्यक्ति ITC लेने के लिये समर्थ होता है। यदि CGST, UTGST, SGST और IGST से सम्बन्धित ITC की राशि एक साथ मिलकर ₹ 2,00,000 से अधिक होती है, तब घोषणा के अभ्यासी सनदी लेखाकार/लागत लेखांकक द्वारा सत्यापित कराना आवश्यक होता है।

उदाहरण श्री Z कर भुगतान के लिये 1 अगस्त को दायी होते हैं और पंजीकरण 15 अगस्त को प्राप्त करते हैं। श्री Z को 31 जुलाई को धारित इनपुट्स के रहतिया और 31 जुलाई को धारित अर्द्ध निर्मित माल और अंतिम रहतिया में निहित इनपुट्स पर ITC उपलब्ध होगी। श्री Z को पूँजीगत माल पर ITC नहीं मिलेगी।

उदाहरण श्री A ने 5 जून को ऐच्छिक पंजीकरण के लिये आवेदन किया है और 22 जून को पंजीयन स्वीकृत होता है। श्री A 21 जून को धारित इनपुट्स के रहतिया और इसी तिथि को अर्द्ध निर्मित माल और अंतिम रहतिया में निहित इनपुट्स को क्रेडिट उपलब्ध होगा, श्री A को पूँजीगत माल पर ITC नहीं मिलेगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

श्री B कर योग्य पंजीकृत व्यक्ति हैं, उन्होंने 30 जुलाई तक कम्पोजीशन स्कीम के अधीन कर का भुगतान किया है। तथापि, 31 जुलाई से उनको नियमित कराधान प्रणाली के अधीन कर देय होगा। उन्हें 30 जुलाई को धारित इनपुट्स के रहतिया और अर्द्ध निर्मित माल और तैयार माल के रहतिया में निहित इनपुट्स पर और इसी तिथि को धारित पूँजीगत माल पर भी ITC प्राप्त होगी, यद्यपि पूँजीगत माल पर ITC की मात्रा में 5% प्रति तिमाही की दर से उनके बीजक की तिथि से कमी कर दी जायेगी।

(iii) कम्पोजीशन स्कीम को अपनाना अथवा करदाता की स्थिति से बाहर होने पर ITC की वापसी [धारा 18 (4) CGST नियम के नियम 44 के साथ पढ़ें]
Reversal of ITC on switching to composition levy or exit from tax paying status [Section 18(4) read with rule 44 of CGST Rules]

- जब कोई पंजीकृत व्यक्ति ITC लेने के पश्चात कम्पोजीशन स्कीम अपनाता है अथवा उसकी पूर्तियाँ पूर्णतः कर मुक्त हो जाती हैं।
- जिन इनपुट्स पर ITC ली गयी थी उसकी आनुपातिक वापसी की जायेगी, जिसका आधार सम्बन्धित बीजक होंगे। यदि बीजक उपलब्ध नहीं हैं, तब ITC की वापसी स्विचओवर/करमुक्त की तिथि को ऐसे माल के प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर की जायेगी। विद्यमान बाजार मूल्य आधारित मूल्यों का प्रमाणन किसी अभ्यासी सनदी लेखाकार/लागत लेखाकार द्वारा किया जायेगा।
- पूँजीगत माल के शेष उपयोगी जीवन (माह में) की वापसी आनुपातिक रूप में, उपयोगी जीवन 5 वर्ष मानते हुए की जायेगी।

पूँजीगत माल का उपयोग 4 वर्ष 6 माह और 15 दिन हो चुका है। शेष उपयोगी जीवन = 5 माह है (माह से कम छोड़ते हुए)
माना पूँजीगत माल पर ली गयी ITC = C
शेष उपयोगी जीवन की ITC = $C \times 5 \div 60$

- स्विच ओवर/विमुक्ति की तिथि से तुरंत पिछले दिन विद्यमान इनपुट्स का रहतिया और अर्द्धनिर्मित माल/अंतिम उत्पाद के रहतिया में निहित इनपुट्स और पूँजीगत माल सम्बन्धी आनुपातिक ITC की राशि पंजीकृत करदाता द्वारा ई. क्रेडिट लेजर या केश लेजर में डेबिट की जायेगी।
- ई. क्रेडिट लेजर में ITC का शेष यदि कोई है, स्वतः समाप्त माना जायेगा
- पंजीकरण के निरस्तीकरण भी ITC की वापसी की जाती है। धारा 18 की उप–धारा (4) और (6) में लागू रीति से गणना के लिये, निरस्तीकरण की तिथि से तुरंत पिछले दिन विद्यमान इनपुट्स का रहतिया और अर्द्धनिर्मित माल/ तैयार माल के रहतिया में निहित इनपुट्स और पूँजीगत माल पर ITC की गणना की जायेगी। ऐसी वापसी योग्य कुल राशि की तुलना, ऐसे माल पर देय आउटपुट टैक्स से की जायेगी, और दोनों में से अधिक राशि का भुगतान पंजीकृत व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।
- इनपुट्स और पूँजीगत माल पर वापसी योग्य ITC की गणना CGST/SGST/ UTGST और IGST के लिये पृथक्–पृथक् की जायेगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

- ❖ वापसी योग्य राशि को पंजीकृत व्यक्ति द्वारा देय आउटपुट टैक्स की राशि में जोड़ दिया जायेगा।

(iii) पूँजीगत माल अथवा संयंत्र और मशीनरी की ऐसी पूर्ति, जिस पर ITC ली जा चुकी है, देय राशि की गणना (धारा 18 (6) के CGST नियम के नियम 40(2) 8 नियम 44(6) के साथ पढ़ें) Amount payable on supply of capital goods or plant and machinery on which ITC had been taken [Section 18(6) real with rule 40 (2) and rule 44 (6) of CGST rules]

- ❖ यदि ऐसे पूँजीगत माल अथवा संयंत्र और मशीनरी जिन पर ITC ली जा चुकी है, करदाता द्वारा उनकी पूर्ति की जाती है, उसको ऐसी राशि का भुगतान करना होगा जो कि निम्नांकित में से उच्च हो :
  - ✓ उस माल के बीजक की तिथि में एक वर्ष के भाग या एक वर्ष की प्रति तिमाही के लिए ऐसे माल पर स्वीकृत ITC को 50% से कम कर दिया जाएगा। अथवा,
  - ✓ संव्यवहार मूल्य पर कर
- ❖ पूँजीगत माल के शेष उपयोगी जीवन सम्बन्धी ITC की राशि की गणना CGST/SGST/UTGST/IGST के लिये पृथक्–पृथक् की जायेगी।
- ❖ यदि उपर्युक्त निर्धारणीय राशि, संव्यवहार मूल्य पर लागू कर से अधिक है, ऐसी आधिक्य की राशि का भुगतान करने के लिये करदाता के आउटपुट टैक्स की राशि में जोड़ दी जायेगी
- ❖ यदि उपवर्तक ईंटें, नए साँचे और ढाँचे, नमूने और स्थिरता की पूर्ति स्क्रैप के रूप में की जाती है तो करयोग्य व्यक्ति संव्यवहार मूल्य पर कर भुगतान कर सकता है।

(iv) पंजीकृत व्यक्ति के संविधान में परिवर्तन के कारण ITC का अन्तरण (धारा 18 (3) के साथ नियम 41 को पढ़ते हुए) Transfer of ITC on account of change in constitution of registered person [Section 18(3) read with rule 41 of CGST rule]

यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति के संविधान में परिवर्तन व्यवसाय के विक्रय, मर्जर, डिमर्जर, संविलयन, व्यवसाय के स्थानांतरण आदि के कारण होता है, तब ऐसे पंजीकृत व्यक्ति के ई. क्रेडिट लेजर में अप्रयुक्त ITC की राशि को नवीन निकाय को अंतरित किया जा सकता है, यदि ऐसे परिवर्तित संविधान में दायित्वों के अन्तरण का भी विशिष्ट प्रावधान हो।

परिपत्र संख्या 96/15/2019 GST दिनांक 28.3.2019 ने स्पष्ट किया है कि व्यवसाय के स्वामित्व में स्थानान्तरण या परिवर्तन में एकल मालिक की मृत्यु के कारण स्वामित्व में स्थानान्तरण या परिवर्तन शामिल है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

इन प्रावधनों को निम्नांकित फ्लोचार्ट की सहायता से समझाया गया है :

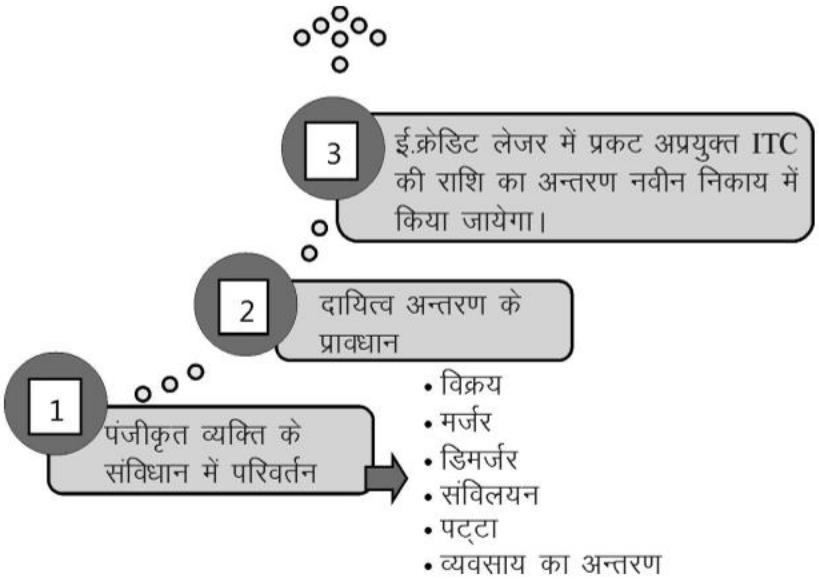

डिमर्जर की स्थिति में, डिमर्जर स्कीम के अधीन नवीन संस्थान/इकाई की सम्पत्तियों के मूल्य के अनुपात में ITC का विभाजन कर दिया जायेगा।

यहां सम्पत्ति के मूल्य का मतलब व्यवसाय की पूरी सम्पत्ति है चाहे उस पर ITC का लाभ लिया हो या नहीं लिया है।

पंजीकृत व्यक्ति द्वारा कॉमन पोर्टल पर संविधान में परिवर्तन सम्बन्धी विवरणों को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें अभ्यासी सनदी लेखाकार/लागत लेखाकार द्वारा प्रमाणन करते हुए प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि संविधान में परिवर्तन दायित्वों के अन्तरण के विशिष्ट प्रावधान के साथ किया गया है। अंतरिती द्वारा कॉमन पोर्टल पर प्रस्तुत ऐसे विवरणों की स्वीकृति पश्चात, अप्रयुक्त ITC को उसके ई. क्रेडिट लेजर में जमाकर दिया जायेगा। अंतरिती अपनी लेखापुस्तकों में इस प्रकार अंतरित पूँजीगत माल और इनपुट्स का लेखा करेगा।

(v) राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश के अन्दर व्यवसाय के कई स्थानों के लिए अलग–अलग पंजीकरण प्राप्त करने पर क्रेडिट का हस्तांतरण [सीजीएसटी नियम के नियम 41A]

धारा 25 एक करदाता को राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में व्यापार के कई स्थानों के लिए अलग–अलग पंजीकरण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। धारा 25 के प्रावधानों को अध्याय 7 पंजीकरण के अन्तर्गत चर्चा की गयी है। पंजीकृत व्यक्ति (हस्तांतरणकर्ता) जिसके राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के भीतर व्यापार के कई स्थानों के लिए अलग से पंजीकृत है, व्यवसाय के किसी भी या सभी नए पंजीकृत स्थानों के लिए उसके इलेक्टॉनिक क्रेडिट बहीखाता में पड़े हुए अनुपयोगी

© The Institute of Chartered Accountants of India

आईटीसी (पूर्ण या आंशिक) का हस्तांतरण कर सकती है। पंजीकरण के समय उनके पास मौजूद सम्पत्तियों के मूल्य के अनुपात में। सम्पत्तियों के मूल्य का मतलब है कि व्यवसाय की सम्पूर्ण सम्पत्तियों का मूल्य भले ही उन पर इनपुट कर क्रेडिट का लाभ उठाया गया है या नहीं।

पंजीकृत व्यक्ति को इस तरह के अलग पंजीकरण प्राप्त करने से **30** दिनों की अवधि के भीतर सामान्य पोर्टल पर निर्धारित विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। जब इस तरह के विवरण को नए पंजीकृत व्यक्ति (हस्तांतरी) द्वारा सामान्य पोर्टल पर स्वीकार किया जाता है, तो अनुपयोगी आईटीसी उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में जमा कर दिया जाता है।

6. इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग कैसे करें (How ITC is Utilised)

	वैधानिक प्रावधान	
धारा 49	कर, ब्याज जुर्माना और अन्य राशियों का भुगतान (प्रासंगिक अर्थ)	
उपधारा	धारा	विवरण
(5)	पंजीकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट बही में इनपुट कर क्रेडिट की राशि उपलब्ध ।	
	(a)	एकीकृत कर पहले एकीकृत कर के भुगतान के लिए उपयोग किया जायेगा और शेष राशि यदि कोई है केन्द्रीय कर और राज्य के भुगतान के लिए उपयोग किया जा सकता है या जैसा की उस क्रम में, केन्द्रीय क्षेत्र कर हो सकता है।
	(b)	केन्द्रीय कर पहले केन्द्रीय कर के भुगतान के लिए किया जायेगा और शेष राशि यदि कोई है एकीकृत कर के भुगतान के लिए उपयोग की जा सकती है।
	(c)	राज्य कर का उपयोग पहले राज्य कर के भुगतान के लिए किया जायेगा और शेष राशि यदि कोई है एकीकृत कर के भुगतान की ओर उपयोग किया जा सकता है।
		बशर्ते कि राज्य कर के खाते पर इनपुट कर क्रेडिट का उपयोग केवल एकीकृत कर के भुगतान की ओर किया जायेगा जहां केन्द्रीय कर के खाते में इनपुट कर क्रेडिट का शेष एकीकृत कर के भुगतान के लिए उपलब्ध नहीं है।
	(d)	संघ राज्य कर का उपयोग पहले संघ राज्य कर के भुगतान के लिए किया जायेगा और शेष राशि यदि कोई है एकीकृत कर के भुगतान की ओर किया जा सकता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

		बशर्ते कि संघ राज्य कर के खाते में उपलब्ध इनपुट कर क्रेडिट एकीकृत कर के भुगतान के लिए प्रयोग किया जायेगा केवल वहाँ जहां केन्द्र कर के खाते में इनपुट कर क्रेडिट एकीकृत कर के भुगतान के लिए उपलब्ध ना हो।
	(e)	केन्द्र कर का उपयोग राज्य कर या संघ राज्य कर के भुगतान के लिए प्रयोग नहीं किया जायेगा।
	(f)	राज्य कर या संघ राज्य कर का उपयोग केन्द्र कर के भुगतान के लिए नहीं किया जायेगा।
धारा 49A	कुछ शर्तों के अधीन इनपुट कर क्रेडिट का उपयोग :	
	धारा 49 में निहित कुछ भी होने के बावजूद केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्य कर के खाते पर इनपुट कर क्रेडिट का उपयोग एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्य कर के भुगतान के लिए किया जाएगा। जैसा भी मामला एकीकृत कर के कारण उपलब्ध इनपुट कर क्रेडिट के बाद इस तरह के भुगतान के लिए पहले पूरा उपयोग किया गया हो।	
धारा 49B	इनपुट कर क्रेडिट के उपयोग का क्रम	
	इस अध्याय में कुछ भी निहित होने के बावजूद और धारा 49 की उपधारा (5) के खण्ड (e) और खण्ड (f) के प्रावधानों के अधीन, सरकार परिषद् की सिफारिशों पर एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या केन्द्रशासित क्षेत्र कर के रूप में, जैसा भी मामला हो, ऐसे किसी भी करके भुगतान की ओर इनपुट कर क्रेडिट के आदेश और उपयोग के तरीके को निर्धारित कर सकती है।	
	अध्याय IX : सीजीएसटी नियम के कर का भुगतान	
नियम 88A	इनपुट कर क्रेडिट के उपयोग का क्रम एकीकृत कर के भुगतान पर इनपुट कर क्रेडिट का उपयोग पहले एकीकृत कर के भुगतान की ओर किया जाएगा और शेष राशि यदि कोई हो केन्द्रीय कर और राज्य कर या केन्द्रीय क्षेत्र कर के भुगतान की ओर उपयोग किया जा सकता है जैसा भी मामला हो।	
	बशर्ते कि केन्द्रीय कर राज्य कर या संघ राज्य कर के खाते पर इनपुट कर क्रेडिट का उपयोग एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्य कर के भुगतान की ओर किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, एकीकृत करके कारण उपलब्ध इनपुट कर क्रेडिट पहली बार पूरी तरह से उपयोग किया गया है।	

© The Institute of Chartered Accountants of India

विश्लेषण (Analysis)

आईटीसी को पंजीकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। एक कर योग्य व्यक्ति उसके द्वारा प्राप्त की गयी। आपूर्ति की प्रकृति के आधार पर निर्भर, सीजीएसटी, एसजीएसटी/ यूजीएसटी और आईजीएसटी के आईटीसी के लिए हक रखता है।

उदाहरण के लिए, राज्यान्तरिक, अन्तर राज्य और आयतित खरीद करने वाला एक आपूर्तिकर्ता निम्नानुसार आईटीसी के लिए पात्र होता है :

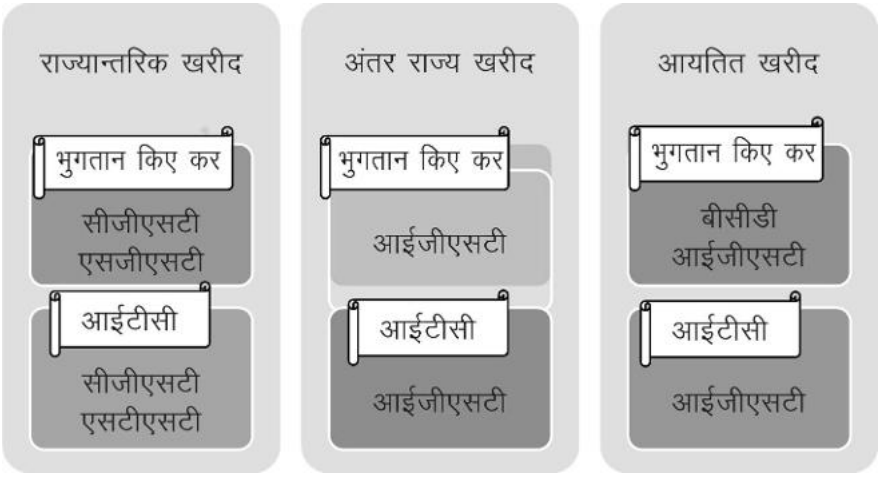

एक व्यक्ति अपनी आउटपुट कर दायित्व का भुगतान करने के लिए आईटीसी का उपयोग कर सकता है। चूंकि जीएसटी कानून विभिन्न तरह के करों जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी/यूजीएसटी और आईजीएसटी को शामिल करता है। एक कर के आईटीसी का प्रयोग किसी भी प्रकार की आउटपुट कर के भुगतान के लिए किया जा सकता है उदाहरण के लिए, सीजीएसटी के आईटीसी का प्रयोग आईजीएसटी के दायित्व के भुगतान के लिए किया जा सकता है और इसके विपरीत या सीजीएसटी के आईटीसी का प्रयोग एसजीएसटी के दायित्व के भुगतान के लिए किया जा सकता है। और इसके विपरीत। ऐसे सवालों का जवाब खोजने के लिए धारा 49(5) धारा 49A धारा 49B नियम 88A और परिपत्र संख्या 98/17/2019 जीएसटी दिनांक 23.04.2013 के प्रावधानों को पढ़ने की आवश्यकता है।

उपर्युक्त को संयुक्त रूप में पढ़ने से पता चलता है कि आईटीसी के उपयोग के क्रम आगे दिए गए क्रम (अंकों के अनुसार) :

आईटीसी	आईजीएसटी आउटपुट दायित्व	सीजीएसटी आउटपुट दायित्व	सीजीएसटी एसजीएसटी/यूजीएसटी आउटपुट दायित्व
आईजीएसटी	(i)	(ii) किसी भी क्रम और किसी भी अनुपात में	
(iii) आईजीएसटी का आईजीएसटी अनिवार्य रूप से समाप्त होने के लिए			

© The Institute of Chartered Accountants of India

सीजीएसटी	(v)	(iv)	अनुमति नहीं
एसजीएसटी / यूजीएसटी	(vii) सीजीएसटी के आईटीसी का पूर्ण रूप से उपयोग करने के बाद	अनुमति नहीं	(vi)

तालिका में दिए गए अंकों को निम्नलिखित तरीके से आगे वर्णित किया जा सकता है :

(i) आईजीएसटी के क्रेडिट को पहले आईजीएसटी के भुगतान के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए।

(ii) शेष आईजीएसटी क्रेडिट, यदि कोई हो, किसी भी अनुपात या किसी भी क्रम में सीजीएसटी और एसजीएसटी / यूजीएसटी के भुगतान की ओर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, शेष आईजीएसटी के क्रेडिट को उपयोग किया जा सकता है :

- पहले सीजीएसटी के भुगतान के लिए और फिर एसजीएसटी के भुगतान की ओर; या
- पहले एसजीएसटी के भुगतान की ओर और फिर सीजीएसटी के भुगतान की ओर; या
- एक साथ सीजीएसटी और सीजीएसटी के भुगतान की ओर किसी भी अनुपात में उदाहरण के लिए, 50 : 50, 30 : 70, 40 : 60 और इसी तरह।

(iii) आईजीएसटी के पूर्ण आईटीसी को पहले पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। एसजीएसटी / यूजीएसटी या सीजीएसटी के आईटीसी का उपयोग करने से पहले।

(iv) & (v) सीजीएसटी का आईटीसी सीजीएसटी और आईजीएसटी के भुगतान के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। सीजीएसटी के आईटीसी को एसजीएसटी / यूटीजीएसटी के भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।

(vi) &(vii) एसजीएसटी / यूटीजीएसटी के आईटीसी को उस क्रम में एसजीएसटी / यूटीजीएसटी और आईजीएसटी के भुगतान के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। हालांकि, एसजीएसटी यूटीजीएसटी का आईटीसी आईजीएसटी के भुगतान के लिए उपयोग किया जाना चाहिए, केवल सीजीएसटी का आईटीसी पूर्ण रूप से उपयोग हो गया हो। एसजीएसटी / यूटीजीएसटी का आईटीसी सीजीएसटी के भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है।

इसलिए क्रेडिट का आपस में उपयोग केवल सीजीएसटी–आईजीएसटी और एसजीएसटी / यूटीजीएसटी–आईजीएसटी के बीच ही उपलब्ध है। मुख्य प्रतिबंध यह है कि सीजीएसटी

© The Institute of Chartered Accountants of India

क्रेडिट एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है और एसजीएसटी/यूटीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी के क्रेडिट के भुगतान के लिए नहीं हो सकता है। आगे उस क्रम में सीजीएसटी और एसजीएसटी के आईटीसी का उपयोग करने के लिए पहले आईजीएसटी की आईटीसी को पूरी तरह से समाप्त करने की आवश्यकता है।

अलग–अलग कर हैड के तहत उपलब्ध आईटीसी की राशि और आउटपुट कर दायित्व

हैड	आउटपुट कर दायित्व	आईटीसी
आईजीएसटी	1000	1300
सीजीएसटी	300	200
एसजीएसटी/यूटीजीएसटी	300	200
कुल	1600	1700

विकल्प 1

आईटीसी	आउटपुट आईजीएसटी दायित्व का निर्वहन	आउटपुट सीजीएसटी दायित्व का निर्वहन	एसजीएसटी/यूटीजीएसटी दायित्व का निर्वहन	आईटीसी का शेष
आईजीएसटी	1000	200	100	0
आईजीएसटी का आईटीसी पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है :				
सीजीएसटी	**0**	**100**	—	**100**
एसजीएसटी/यूटीजीएसटी	0	—	200	0
कुल	1000	300	300	100

© The Institute of Chartered Accountants of India

विकल्प 2

आईटीसी	आईजीएसटी दायित्व का निर्वहन	सीजीएसटी दायित्व का निर्वहन	एसजीएसटी/यूटीजीएसटी दायित्व का निर्वहन	आईटीसी का शेष
आईजीएसटी	1000	100	200	0
आईजीएसटी का आईटीसी पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है।				
सीजीएसटी	**0**	**200**	—	**0**
एसजीएसटी/यूटीजीएसटी	0	—	100	100
कुल	1000	300	300	100

आईजीएसटी के आईटीसी का सीजीएसटी और एसजीएसटी दायित्वों के विरुद्ध प्रयोग करने हेतु अन्य विकल्प भी यहां उपलब्ध हो सकते हैं। इस उदाहरण में आईजीएसटी के आईटीसी का सीजीएसटी और एसजीएसटी के दायित्व के विरुद्ध उपयोग करने के दो विकल्प दर्शाये गए हैं।

उदाहरण (Illustration) 1

ABC लि. भारी मशीनरी के निर्माण में संलिप्त है। उन्होंने जुलाई माह में निम्नांकित मदों का क्रय किया :

क्र.सं.	मदें	चुकता GST (₹)
(i)	निर्माणी प्रक्रिया में प्रयोज्य इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर्स	5,20,000
(ii)	कच्चे माल के परिवहन में प्रयुक्त ट्रक्स	1,00,000
(iii)	कच्चा माल	2,00,000
(iv)	कारखाने में कार्यरत कर्मचारियों के उपभोग हेतु कन्फैक्सनरी मदें	25,000

ABC Co.Ltd को उपलब्ध ITC का निर्धारण जुलाई माह के लिये कीजिए, विभिन्न मदों सम्बन्धी व्यवहारों के सम्बन्ध में आवश्यक स्पष्टीकरण देते हुए।

नोट :

(i) ITC उपलब्ध करने के लिए आवश्यक सभी शर्तें पूरी हैं।

(ii) ABC Co. Ltd किसी प्रारम्भिक विमुक्ति की अधिकारी नहीं है।

उत्तर (Answer)

जुलाई माह के लिए ABC कं. लि. को उपलब्ध ITC की गणना

क्र.सं.	मदें	ITC (₹)
(i)	इलेक्ट्रिकल ट्रान्सफार्मर्स (व्यवसाय के अभ्युदय में प्रयुक्त माल होने के कारण धारा 16 (1) के अधीन ITC उपलब्ध है।)	5,20,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

(ii)	कच्चा माल परिवहन में प्रयुक्त टैक्स (यद्यपि धारा 17 (5) (a) के अधीन मोटर वाहनों पर ITC विशेष रूप से अस्वीकृत है तथापि, माल परिवहन के लिए प्रयुक्त मोटर वाहनों पर धारा 17(5) (a) (ii) के अधीन ITC स्वीकृत है।)	1,00,000
(iii)	कच्चे माल (माल का उपयोग व्यवसाय के अभ्युदय में होने के कारण धारा 16(1) के अधीन इन पर ITC स्वीकृत है।)	2,00,000
(iv)	कारखाने कर्मचारियों के उपभोग के लिए कन्फैक्सनरी की मदें	शून्य
	(खाद्य और पेय पदार्थों पर ITC विशेष रूप से अस्वीकृत है, जब तक कि उसका उपयोग कर योग्य बाह्य पूर्तियों अथवा कर योग्य संयुक्त या मिश्रित पूर्तियों के रूप में धारा 17 (5) (b) (i) के अधीन नहीं किया गया हो।)	
	कुल ITC	**8,20,000**

उदाहरण (Illustration) 2

XYZ लि. कर योग्य माल के निर्माण में संलग्न है। XYZ को अक्टूबर, 2018 माह के लिए उपलब्ध ITC की गणना निम्नांकित विवरणों से कीजिए :

क्र.सं.	आन्तरिक पूर्तियाँ	GST (₹)	टिप्पणी
(i)	इनपुट 'A'	1,00,000	₹ 10,000 का एक बीजक जिस पर GST देय था, गुम हो गया है।
(ii)	इनपुट 'B'	50,000	इनपुट दो किस्तों में प्राप्त होना है, जिसकी प्रथम किस्त अक्टूबर 20XX में प्राप्त हुई है।
(iii)	पूँजीगत माल	1,20,000	XYZ लि. ने पूँजीगत माल का बीजक मूल्य GST सहित को पंजीकृत कर दिया है और सम्पूर्ण बीजक मूल्य पर ह्रास प्राप्त करेगी।
(iv)	इनपुट सेवाएँ	2,25,000	दिन 20.1.20XX का ₹ 50,000 का बीजक जिस पर GST देय था। वह अक्टूबर, 20XX में प्राप्त हुआ।

नोट :

(i) ITC उपलब्ध करने के लिए सभी शर्तें पूरी हैं।

(ii) 31 मार्च, 20XX को खत्म वित्त वर्ष की वार्षिक विवरणी, 15 सितम्बर, 20XX को प्रस्तुत की गयी है।

उत्तर (Answer)

अक्टूबर, 20XX माह के लिए XYZ लि. को उपलब्ध ITC की गणना

क्र. सं.	आंतरिक पूर्तियाँ	GST (₹)
(i)	इनपुट 'A' (गुम हुए बीजक सम्बन्धी ITC उपलब्ध नहीं होती है, पंजीकृत व्यक्ति के	90,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

	अधिकार में ITC का दावा करने के लिए बीजक होना धारा 16(2) (a) के अनुसार अनिवार्य है।)	
(ii)	इनपुट 'B' (किस्तों में प्राप्य पूर्तियों सम्बन्धी ITC अन्तिम किस्त की प्राप्ति पर ही धारा 16(2) के प्रथम उपलब्ध के अनुसार उपलब्ध होती है।)	शून्य
(iii)	पूँजीगत माल (पूँजीगत माल पर ITC उपलब्ध नहीं होगी यदि कर के भाग पर ह्रास का दावा किया गया है।) [धारा 16(3)]	शून्य
(iv)	इनपुट सेवाएँ धारा 16 (4) के अनुसार, ITC ऐसे बीजक पर उपलब्ध नहीं होगी, जिसके निर्गमन की तिथि के पश्चात् अगले वित्त वर्ष के सितम्बर माह की विवरणी प्रस्तुत करने की देय तिथि अथवा वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथि (जो भी पहले हो) व्यतीत हो चुकी है। Since the annual return for the FY ending 31st March 20XX has been filed on 15th September, 20XX (prior to due date of filing the return for September, 20XX *ie.*, 20th October, 20XX), ITC on the invoice pertaining to FY ending 31st March 20XX cannot be availed after 15th September, 20XX	1,75,000
	योग	**2,65,000**

उदाहरण (Illustration) 3

श्री X नियमित करारोपण स्कीम के अधीन माल के पूर्तिकर्ता है। श्री X प्रारम्भिक विमुक्ति के अधिकारी नहीं हैं। उन्होंने करा विधि में निम्नांकित बाह्य पूर्तियाँ की हैं :

विवरण	**(₹)**
राज्य के अन्दर माल की पूर्ति	8,00,000
अन्तर्राज्यीय माल की पूर्ति	3,00,000

इसी करा विधि में उसके द्वारा की गयी खरीद के सम्बन्ध में निम्नांकित सूचनाएँ, प्रस्तुत हैं :

विवरण	**(₹)**
माल की राज्य के अन्दर क्रय	2,00,000
माल की अन्तर्राज्यीय क्रय	50,000

करा विधि के प्रारम्भ से श्री X से पास उपलब्ध ITC के शेष निम्नांकित हैं :

विवरण	**(₹)**
CGST	57,000
SGST	0
IGST	70,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

नोट :

(i) CGST, SGST और IGST की दरें 9%, 9% और 18% क्रमानुसार हैं।

(ii) आन्तरिक और बाह्य दोनों पूर्तियाँ कर रहित हैं, जहाँ भी लागू हैं।

(iii) ITC उपलब्ध की सभी आवश्यक शर्तें पूरी हैं।

श्री X द्वारा करावधि में देय GST की गणना कीजिए। आवश्यकतानुसार उपर्युक्त धारणाएँ करें।

उत्तर (Answer)

श्री X द्वारा बाह्य पूर्तियों पर देय GST की गणना

क्र.सं.	विवरण	(₹)	GST (₹)
(i)	राज्य के अन्दर माल की पूर्ति		
	₹ 8,00,000 पर CGST @ 9%	72,000	
	₹ 8,00,000 पर SGST @ 9%	72,000	1,44,000
(ii)	अन्तर्राज्यीय माल की पूर्तियाँ		
	₹ 3,00,000 पर IGST @ 18%		54,000
	कुल देय GST		**1,98,000**

कुल ITC की गणना

विवरण	CGST @ 9% (₹)	SGST @ 9% (₹)	IGST @ 18% (₹)
प्रारम्भिक ITC	57,000	शून्य	70,000
जोड़ो : ₹ 2,00,000 की राज्य के अन्दर माल की पूर्ति पर ITC	18,000	18,000	शून्य
जोड़ो : ₹ 50,000 की अन्तर्राज्यीय माल की पूर्ति पर ITC	शून्य	शून्य	9,000
कुल ITC	**75,000**	**18,000**	**79,000**

कैश लेजर से देय GST की गणना

विवरण	CGST @ 9% (₹)	SGST @ 9% (₹)	IGST @ 18% (₹)
देय GST	72,000	72,000	54,000
घटाओ : ITC	शून्य-IGST	(25,000)-IGST	(54,000)-IGST
	(72,000)-CGST	18,000 –SGST	
कम से कम नकद देय GST	**शून्य**	**29,000**	**शून्य**

© The Institute of Chartered Accountants of India

नोट : चूंकि CGST की ITC का पर्याप्त शेष CGST दायित्व का भुगतान करने के लिए उपलब्ध है तथा CGST और SGST की ITC के क्रॉस उपयोग की अनुमति नहीं है, इसलिए IGST की ITC का उपयोग नकद बहिर्वाह को कम करने के लिए SGST (IGST दायित्व का भुगतान करने के बाद) का भुगतान करने के लिए किया गया है। इसी क्रम में किया गया है।

7. आओ पुनरावृत्ति करें (Let us Recapitulate)

I. कुछ प्रमुख शब्दों की परिभाषाएं निम्नांकित फ्लोचार्ट द्वारा सारांशित की गयी हैं (Definitions of certain key terms are summarized by way of diagrams as under) :

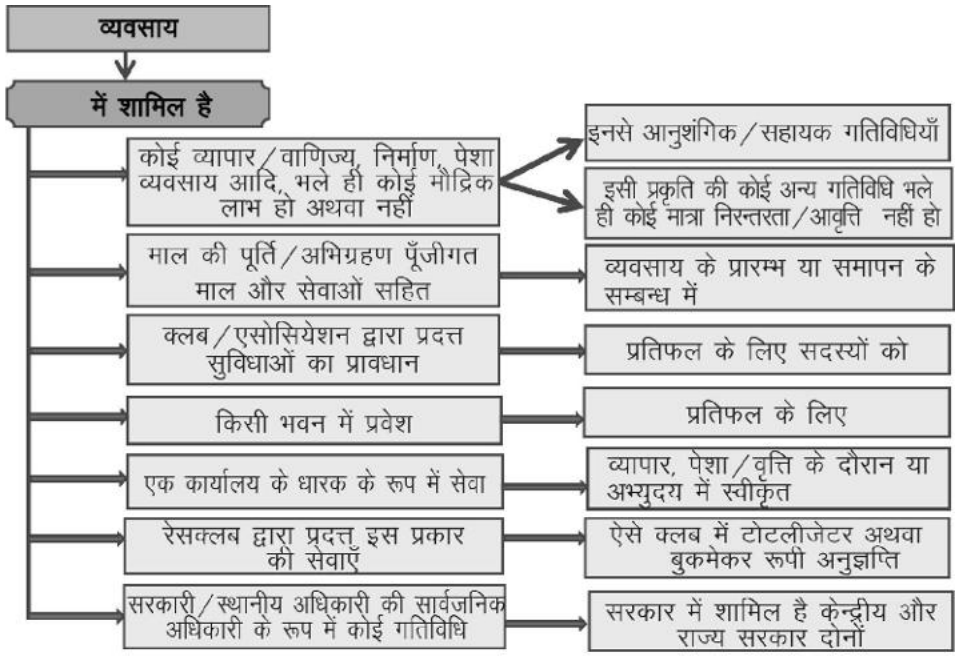

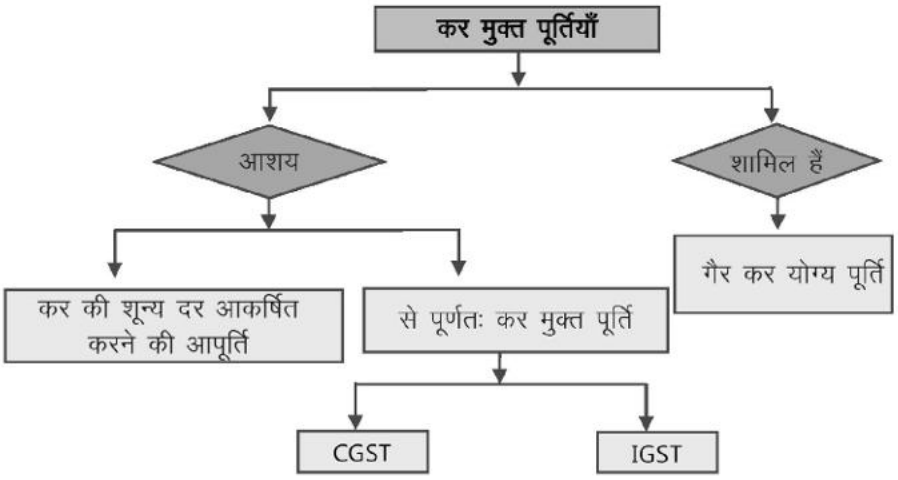

© The Institute of Chartered Accountants of India

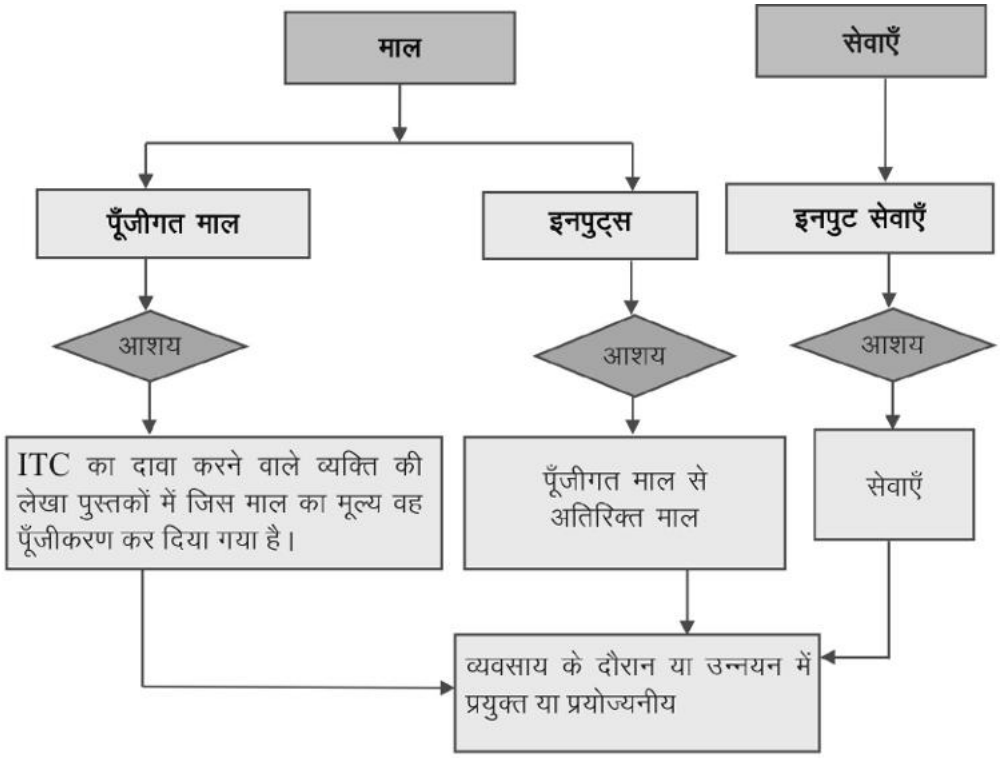

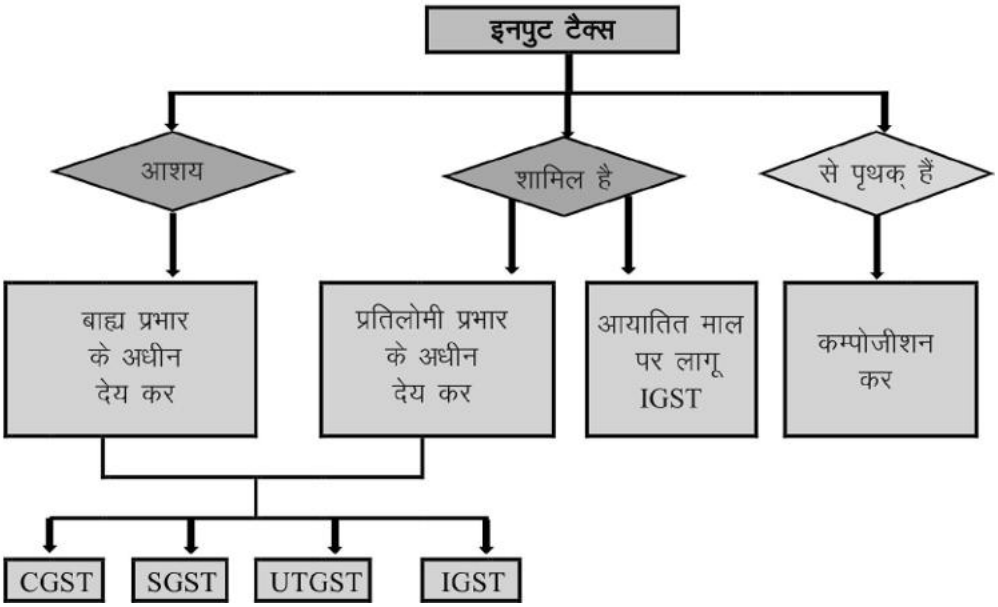

© The Institute of Chartered Accountants of India